पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2015 ई0 (चैत्र 14, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

## उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

### अधिसूचना

09 जनवरी, 2015 ई0

सं0 F9(RG)/24/UERC/1855/2015: विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, यथा:

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

1.1 इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन संपरीक्षा) विनियम, 2015 होगा।

1.2 ये विनियम उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम शासकीय गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं और निर्वचन**

2.1 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्दों का निम्नलिखित अर्थ होगा।

a) **'अधिनियम'** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

b) **'आयोग'** से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

c) **'विनियमित कंपनियों'** से इन विनियमों के प्रयोजन से, वे वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनियां, पारेषण अनुज्ञापी, अनुज्ञप्ति छूट–धारी, जिनमें उत्तराखण्ड में चल रही ग्रामीण विद्युत सहकारिताएं और राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र व वे राज्यान्तर्गत विद्युत व्यापारी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत होंगे जिन्हें आयोग द्वारा अनुज्ञापित किया गया है;

2.2 वे शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां उपयोग में लाये गये हैं और विनियमों में परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिये अधिनियम में नियत किया गया है।

## 3. अनुपालन संपरीक्षाएं

3.1 आयोग किसी भी अधिनियम, उसके अधीन निर्मित नियमों, विनियमों, आयोग द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों के साथ उनके अनुपालन को सत्यापित करने के लिये विनियमित कंपनियों की संपरीक्षा संचालित करवा सकता है।

3.2 तृतीय पक्ष शिकायतें – संपरीक्षित किये जाने वाले क्षेत्रों को तृतीय पक्ष शिकायतों के द्वारा भी चिन्हित किया जा सकता है, उदाहरण के लिये उपभोक्ता शिकायतें, रिपोर्ट्स, आवेदन, इत्यादि।

3.3 आयोग, आदेश द्वारा, जिन निबंधनों और शर्तों पर वह उचित समझे, इन कृत्यों के निष्पादन में आयोग की सहायता के लिये अपेक्षित परामर्शियों/संपरीक्षकों का पैनल बना सकता है। आयोग, उसके साथ संपरीक्षा हेतु पैनल में रखे गये व्यक्तियों में से परामर्शियों/संपरीक्षकों को नामित कर सकता है या यदि किसी विशिष्ट आवश्यकता हेतु अपेक्षित हो तो नये चयन की प्रकिया अपना सकता है।

3.4 जहां उपयुक्त हो वहां आयोग असाधारण मामलों में परामर्शियों/संपरीक्षकों के एकल स्रोत चयन पर भी विचार कर सकता है।

3.5 आयोग, संपरीक्षा आरम्भ करवाने से पहले सौंपे गये काम तय करेगा जिसमें संपरीक्षित किये जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों, परामर्शी/संपरीक्षक द्वारा प्रदान किये जाने वाले परिणामों, कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा तथा कार्य से संबंधित अन्य निबंधनों का विवरण होगा।

3.6 आयोग, एक आदेश द्वारा, विनियमित कंपनी की संपरीक्षा आरम्भ होने से पहले, आयोग द्वारा रचित सौंपे गये कामों के आधार पर परामर्शी/संपरीक्षक को संपरीक्षा का विशिष्ट कार्य सौंपेगा।

4. परामर्शी/संपरीक्षक की अपेक्षाएं

4.1 ऐसे किसी नियत कार्य के लिये परामर्शियों/संपरीक्षकों को नहीं रखा जायेगा जिससे अन्य ग्राहकों के साथ उनके पूर्व या वर्तमान दायित्वों का विरोध हो। पूर्वगामी की व्यापकता पर सीमितता के बिना, परामर्शी/संपरीक्षक, नीचे दी गई परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नियुक्त किये जायेंगे;

(i) किसी संपरीक्षा विशेष हेतु रखे गये एक परामर्शी या संपरीक्षक को आयोग द्वारा रखे जाने से पिछले पांच (5) वर्षों की अवधि हेतु विनियमित कंपनी में कोई पद धारण किया हुआ न हो या उसमें उसका कोई वाणिज्यिक हित नहीं होना चाहिये;

(ii) चयनित परामर्शी या संपरीक्षक को आयोग को एक लिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा निष्पादित किये जा रहे अन्य नियत कार्यों के साथ इस सौंपे गये कार्य का कोई विरोध नहीं है।

(iii) भावी परामर्शी/संपरीक्षक के पास विनिर्दिष्ट कार्य पूरा करने के लिये उचित व सुसंगत अर्हताएं होनी चाहियें।

(iv) विशिष्ट कार्य की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए आयोग परामर्शी/संपरीक्षक की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं विनिर्दिष्ट कर सकता है।

परामर्शी/संपरीक्षक एक फर्म या एक व्यक्ति हो सकता है।

5. व्यय

(i) इन विनियमों के अधीन की गई संपरीक्षा और उस से प्रासंगिक सभी व्ययों का भुगतान आयोग द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात उन व्ययों को दावा करने से तीस (30) दिन के भीतर विनियमित कंपनी द्वारा आयोग के पक्ष में अदा किया जायेगा।

(ii) विनियमित कंपनी को उक्त व्ययों का निम्नलिखित रूप से दावा करने की अनुमति होगी :–

(a) वितरण अनुज्ञापी, पारेषण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनियां और SLDC उक्त व्ययों का सुसंगत वर्ष के सहीकरण में अपने प्रशासकीय और सामान्य व्यय के रूप में दावा करेगी;

(b) विद्युत व्यापारी (Electricity Traders) उक्त व्ययों का दावा आयोग के अनुमोदन से बढ़े हुए व्यापार (Trading) अंतर के रूप में कर सकते हैं;

(c) अनुज्ञप्ति छूट धारकों पर उन से संबंधित संपरीक्षा से संबंधित व्ययों की वसूली हेतु एक विशेष एक–समय प्रभार प्रभारित किया जा सकता है;

परन्तु यदि अनुपालन संपरीक्षा के परिणामस्वरूप विनियमित कंपनी को अधिनियम/उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों, आयोग द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों के अनानुपालन का दोषी पाया जाता है और जहां ऐसे अनानुपालन के फलस्वरूप धारा 142 के अधीन कार्यवाही के द्वारा दंड अधिरोपित किया जाता है वहां ऐसी संपरीक्षा से संबंधित सभी लागतें स्वयं विनियमित कंपनी द्वारा वहन की जायेंगी तथा व्यय के रूप में इनका दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

**6. कार्यविधि**

6.1 आयोग द्वारा निर्देश दिये जाने पर परामर्शी/संपरीक्षक, संपरीक्षा किये जाने वाली विनियमित कंपनी, उसकी लेखा बहियों, रजिस्टर्स और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करवायेगा तथा आयोग द्वारा निर्देशित तरीकों से उस विनियमित कंपनी के मामलों का अन्वेषण करवायेगा।

परन्तु विनियमित कंपनी को ऐसे निरीक्षण और/या अन्वेषण का लिखित में युक्तियुक्त अग्रिम नोटिस दिया जायेगा।

6.2 प्रत्येक विनियमित कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह परामर्शी/संपरीक्षक के समक्ष सभी ऐसी लेखा बहियां, रजिस्टर्स और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा उतने समय के भीतर जितना कि इस निमित्त परामर्शी/संपरीक्षक लिखित में सूचित करें, विनियमित कंपनी के मामलों से संबंधित कोई कथन और जानकारी प्रस्तुत करे जैसी कि परामर्शी/संपरीक्षक द्वारा अपेक्षा की जाये।

6.3 परामर्शी/संपरीक्षक, निष्पादित कार्य के दस्तावेजीकरण करने और संपरीक्षा के दौरान ज्ञात निष्कर्षों के आधार पर उपयोग हेतु पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य एकत्र करेगा।

(a) एकत्रित जानकारी सामान्यतः निम्नलिखित द्वारा होगी :

(i) डाटा निवेदन – डाटा प्राप्त करने का प्राथमिक तरीका संबंधित विनियमित कंपनी को डाटा निवेदन द्वारा होगा। डाटा आवेदन द्वारा प्राप्त आवेदन में वित्तीय और प्रचालन जानकारी, प्रकिया पुस्तिकाएं, संगठनात्मक चार्ट्स, रिपोर्ट्स, ई–मेल और वॉयस मेल रिकॉर्ड्स और अध्ययन सम्मिलित हो सकते हैं। डाटा या तो इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पत्र दस्तावेजों के रूप में (आवश्यकता पर निर्भर करते हुए) हो सकते हैं।

(ii) स्थल दौरे – परामर्शी/संपरीक्षक संबंधित विनियमित कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सही व्याख्या सुनिश्चित करने के लिये स्थल दौरे संचालित करेगा। परामर्शी/संपरीक्षक अन्य बातों के साथ–साथ संपरीक्षा से सुसंगत सामग्री स्थल पर एकत्र करेगा, प्रकियाओं का प्रेक्षण करेगा और आमने सामने साक्षात्कार का अवसर प्रदान करेगा।

(iii) साक्षात्कार – परामर्शी/संपरीक्षक व्यक्तिगत रूप से या फोन पर साक्षात्कार संचालित कर सकता है।

(b) संपरीक्षा के अधीन विनियमित कंपनी डाटा एकत्रित हो जाने पर परामर्शी/संपरीक्षक डाटा का संकलन करेगा और इसका विश्लेषण करेगा। परामर्शी/संपरीक्षक बहु स्रोतों से एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करेगा जिस में अधिनियम, उसके अधीन निर्मित नियमों, विनियमों, आयोग द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों के संभाव्य अनानुपालन हेतु परीक्षण के लिये ऐसी विनियमित कंपनियों और साथ ही साथ सार्वजनिक रिकॉर्ड्स से आयोग के समक्ष फाईलिंग सम्मिलित है।

6.4 परामर्शी/संपरीक्षक द्वारा आयोग को पूर्ण रिपोर्ट देनी होगी जिसमें निम्नलिखित का न्यूनतम रूप में समावेश होगा;

a) रिपोर्टिंग परिधि का विवरण जिसमें सौंपे गये कामों में विनिर्दिष्ट सभी मामले सम्मिलित होंगे;

b) विनियामक दायित्वों के अनुपालन हेतु स्थापित की गई प्रणाली और प्रकियाओं का विवरण जिसमें सुसंगत दस्तावेजीकरण और उत्तरदायी स्थितियों का चिन्हिकरण सम्मिलित है।

c) सामान्य अनुपालन मुद्दों और रिपोर्ट हेतु चिन्हित विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करते हुए इस बात पर चर्चा कि अनुपालन किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है;

d) किसी चिन्हित अनानुपालन का विवरण और उसके सुधार के लिये विनियमित कंपनी द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा कार्यवाही की पर्याप्तता का मूल्यांकन ।

6.5 रिपोर्ट में संपरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एक कथन सम्मिलित होगा जिसमें कहा जायेगा कि:

a) निष्कर्ष निकालने और रिपोर्ट तैयार करने में परामर्शी/संपरीक्षक द्वारा सौंपे गये कामों का अनुपालन किया गया है; और

b) रिपोर्ट, संपरीक्षक की वृत्तिक राय प्रतिबिंबित करती है।

6.6 परामर्शी/संपरीक्षक विनियमित कंपनी को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगा।

6.7 इन विनियमों के अधीन एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग, विनियमित कंपनी को चिन्हित रिपोर्ट के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति, अनानुपालन या उल्लंघन में अधिनियम के अधीन उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ कर सकता है।

**7. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति**

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधो को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है जो अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाईयां दूर करने के प्रयोजन से आयोग को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

**8. संशोधन की शक्ति**

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों में संशोधन कर सकता है।

**9. आदेश एवं व्यवहार निर्देश**

अधिनियम के उपबंधों के अधीन आयोग इन विनियमों को लागू करने के संबंध में समय समय पर आदेश और व्यवहार निर्देश जारी कर सकता है।